

फोन नं. 0788-2322345

प्राप्त - दो

फैक्स नं. 0788-2211242

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, हुर्ग (छ.ग.)

23/०३/२०२१

क्रमांक / ११५१

/मायता/२०२)

हुर्ग, दिनांक २३/०३/२०२१

प्रति, प्रबंधक, श्री गुरु जिंद इन्डस्ट्रीज ग्रुप
से ०६, निम्नांकित

विषय : नि. गुरु जीर्ण अविवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रायोजन के लिए, नि. गुरु और अविवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विषय, 2009 के नियम 11 के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मायता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख २२/०८/२०२१ के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के स्थाप प्रबंधालय की विद्यालय के नाम पता स्थिति को तारीख २५/०१/२०२१ से २४/०३/२०२१ तक तीन बच्चों की अवधि के लिए कक्षा १० से २८/०३/२०२१ तक मायता प्रदान करने की संसूचना देता है।

उपरोक्त स्थीकृत विद्यालय के पूरा किये जाने के अध्याधीन है :-

1. मायता की स्थीकृत विद्यालय की विवित जाति कक्षों में और उसमें किसी भी रूप में कक्षा अठवां के पश्चात् मायता / संबद्धन करने के लिए कोई वायाता विवित नहीं है।
2. विद्यालय, नि. गुरु और अविवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिसिट-ए) और नि. गुरु और अविवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विषय 2009 (परिसिट-दो) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा एक में (या यथाविति नसीरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के २५% प्रतिशत तक जाति-पढ़ाओं के कम्बजोर बांगों और सुविधा विहीन समूह के बच्चों को प्रबंध प्रदान करेगा और उक्त निः नि. गुरु और अविवार्य प्रायोजनिक विद्या उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परंतु यह और भी कि पूर्व प्रायोजिक कक्षाओं के मामले में भी इस सामनों को अनुपालन किया जायेगा।
4. पैरा ३ में विविह बच्चों के स्थित विद्यालयों को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक बाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेन गुरु का संघरण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता/पिता या संबद्ध को किसी रूपीरिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय, किसी बच्चे को उसकी आपु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय विमलिति सुविचित करेगा :-
एक प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्रायोजिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में केत नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से विकासित नहीं किया जायेगा।
- दो किसी भी बच्चे को शारीरिक वड़ा या मायसिक उत्सुक के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
- तीन प्रायोजिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की अवेद्धा नहीं की जायेगी।
- चार प्रायोजिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रयोक बच्चों को नियम 25 के अधीन अधिकवित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
- पांच अधिनियम के उपबंधों 'च' के अनुसार नि. गुरु/विजेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

- उः अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन पथा अधिकवित व्यवस्था अहंताओं के साथ की जाती है परंतु यह और भी कि विद्यालय अध्यापक जिनके पालन पर व्यवस्था अहंताएँ अवैत रहते हैं, ०५ वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी व्यवस्था योग्यताएँ अवैत करेंगे।
- सात अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, और अध्यापक स्थायं को किसी निजी अध्यापक विद्यालयों में नियोजित नहीं करेंगे।
७. विद्यालय समृद्धि अधिकारी द्वारा अधिकवित पाठ्यपूर्क के आधार पर प्रायोजिक काम का पालन करेंगे।
८. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मायवकों और संविधयों को बनाये रखेंगा। अंतिम विरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ विभागानुसार है :-

..... १२५३३.३६ ट्रॉफी ट्रॉफी
..... ४८८३.३१ वन्डोर
..... ८५५१.१२ वन्डोर
..... ६० क्रूज़र.प्राहात
..... ०३. क्रूरे
..... ३७.१८
..... श्री. ३१/हार्टिंगर

..... बाधारहितपहुँच
अध्यापन पठन सामग्री/क्रोडा बैलकूल के उपस्थितों/पुस्तकालय की उपलब्धता :
..... विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मायता प्राप्त कक्षाएँ वहाँ चलाई जायेंगी।
..... विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के किया जायेगा।
..... विद्यालय की नोतापारी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकूत किसी सोसायटी द्वारा या तस्मय प्रदूत किसी विद्यालय के अधीन गठित किसी लोकप्राप्त द्वारा चलाया जा रहा है।

..... विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक सम्बन्ध या संघ प्रयोगितियों के लाभ के लिये नहीं बल्कि रहा है।
..... विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा समर्पीकृत की जानी चाहिये और उसके प्रक्रिया के लिए विवरण, विभागों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिये। प्रत्येक विवरण की एक प्रति प्रयोक वर्ग जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समर्पय-प्रदूत किया जाएगा।
..... आपके विद्यालय को आवधि मायता को संभालकर १२२/२६/०४ है। कृपया इसे नोट करें। इस कार्यालय के साथ किसी भी प्रायोजन के लिए इस संस्थान का उल्लेख करें।
..... विद्यालय ऐसी विभागों और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निवेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समर्पय-प्रदूत किया जाएगा और राज्य सरकार/स्थानीय प्रायोकरण के ऐसे विभागों का पालन करेगा जो मायता संलग्न सतत अनुपालन के सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किया जाए।
..... सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण विधि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाए।
..... संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई नहीं।